पंजीकृत

उत्तराखण्ड सरकार,
अर्थ एवं संख्या विभाग,
संख्याः /स्था0–11(मृ0आ0)/2001
दिनांकः देहरादूनः 24 जुलाई, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग के "उत्तरांचल सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली–2002 एवं शासनादेश संख्या 1162/कार्मिक–2/ 2002 दिनांक 23.08.2002 के प्राविधानों के अन्तर्गत विभाग में कार्यरत स्व0 उमेश सिंह, वाहन चालक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिवार के एक सदस्य को नियुक्ति दिये बिना निर्वाह नहीं हो सकेगा के कारण मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए स्व0 उमेश सिंह के आश्रित पुत्र श्री रितेश राणा को मृतक आश्रित के रूप में कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, ऊधमसिंह नगर में अनुसेवक (चपरासी) के रिक्त पद पर वेतन लेबल–01 ₹ 18000–56900 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखते हुए अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। इन्हें उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी नियमानुसार देय होंगे।

2— **प्रतिबन्ध यह है कि उनकी सेवायें सन्तोषजनक न होने पर किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।**

3— इस नियुक्ति के फलस्वरूप तैनाती केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उन्हें कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह समझ लिया जायेगा कि वे अनुसेवक के पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है।

4— कार्यभार ग्रहण करते हुए निम्नलिखित प्रमाण पत्र तैनाती केन्द्र पर अनिवार्य रूप से प्रस्ततु करें:–

1— मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र(मूलरूप में)।
2— दो राजपत्रित अधिकारियों (जो संसबधित न हो) से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र(मूलरूप में)।
3— अन्तिम शिक्षा संस्थान से प्राप्त चत्रित प्रमाण–पत्र (मूलरूप में)।
4— कक्षा–8 उत्तीर्ण का सार्टिफिकेट/अंक तालिका की प्रमाणित तथा मूल प्रति।

ह0/–
(सुशील कुमार)
निदेशक

पत्रांक 512 /स्था0–11(मृ0आ0)/2001 दिनांकितः
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी।
2— मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3— अर्थ एवं संख्याधिकारी, ऊधमसिंह नगर को इस आशय से कि श्री रितेश राणा पुत्र स्व0 उमेश सिंह, वाहन चालक के मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जॉच कर लें।
4— वेब इन्फॉरमेशन अधिकारी/उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय।
5— श्री रितेश राणा पुत्र स्व0 उमेश सिंह, वाहन चालक, ग्राम/पोस्ट–श्रीपुर, विचुवा, तहसील–खटीमा, जनपद–उधमसिंह नगर
6— स्थापना/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या।